भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *11
22.07.2024 को उत्तर के लिए

माजुली द्वीप पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

***11. श्री गौरव गोगोई :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भू-क्षरण में खतरनाक वृद्धि के कारण माजुली द्वीप पर गंभीर प्रभाव पड़ने की जानकारी है।
(ख) क्या सरकार माजुली द्वीप पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की दर और गंभीरता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन करा रही है या निगरानी कार्यक्रम चला रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है:
(ग) नदी तट मृदा अपरदन की समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है तथा क्या नदी तट स्थिरीकरण के लिए कोई परियोजनाएं चल रही हैं, यदि हां, तो तत्ससंबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार के पास माजुली पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;
(ङ) क्या सरकार की माजुली में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन परियोजनाओं के लिए कोई विशिष्ट निधि आवंटित करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार माजुली में जलवायु परिवर्तन से सम्बन्धित कार्रवाई से जुडी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधनों और विशेषज्ञता को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अथवा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ भागीदारी की संभावना तलाश रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'माजुली द्वीप पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव' के संबंध में श्री गौरव गोगोई द्वारा दिनांक 22.07.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *11 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (च) केंद्रीय जल आयोग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवाहाटी के माध्यम से सुदूर संवेदी तकनीक का उपयोग करके ब्रह्मपुत्र नदी का आकृतिक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के भाग के रूप में माजुली के कुल क्षेत्रफल में दशकीय परिवर्तन का अनुमान लगाया गया। यह पाया गया है कि यद्यपि आधार वर्ष अर्थात् वर्ष 1973-74 से माजुली के कुल क्षेत्रफल में कमी आई है, किंतु हाल के दशकों में माजुली का कुल क्षेत्रफल लगभग समान ही बना हुआ है। इस अध्ययन से संकेत मिलता है कि भूखंड के चारों ओर अपरदन-निक्षेपण की एक सतत प्रक्रिया विद्यमान है।

भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट अपरदन के नियंत्रण तथा उससे जुड़े मामलों के निपटान के उपायों की योजना तैयार करने और उनका एकीकृत कार्यान्वयन करने के लिए वर्ष 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इसने वर्ष 2004 से चार योजनाओं के तहत 183.27 करोड़ रुपए की कुल लागत से माजुली द्वीप में बाढ़ शमन और अपरदन सुरक्षा संबंधी कार्य निष्पादित किए हैं और इसके अलावा वर्ष 2017 में 233.57 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है, जिससे कुल लागत 416.84 करोड़ रुपए हो गई है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा वर्ष 2004 से कार्यान्वित किए गए विभिन्न उपायों के बाद ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मृदा के अपरदन में काफी कमी आई है।

असम सरकार ने नदी तट के अपरदन को रोकने के लिए कार्यनीतियों की रूप रेखा तैयार की है। आपदा प्रबंधन क्षेत्र के तहत प्रमुख कार्यनीतियों में से एक कार्यनीति निर्माण कार्य संबंधी उपयुक्त नियमों और वृक्षारोपण उपायों के माध्यम से बाढ़ के कारण मिट्टी के अपरदन को कम करना है।

सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) शुरू की है, जो सौर ऊर्जा, ऊर्जा की बचत, जल, संधारणीय कृषि, स्वास्थ्य, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक जानकारी के विशिष्ट क्षेत्रों में अपने राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के उपशमन और उनके प्रति अनुकूलन के लिए व्यापक नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराती है। एनएपीसीसी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत कार्यनीतियों को परिलक्षित करती है। एनएपीसीसी के उद्देश्यों के अनुरूप, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्य-विशिष्ट कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी अपनी राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) तैयार की है। आज तक असम सहित 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी एसएपीसीसी तैयार कर ली है।

असम की एसएपीसीसी के अनुसार, कृषि, जल संसाधन, वन, सामाजिक-आर्थिक विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन के संकेतकों का उपयोग करके माजुली को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए मध्यम रूप से संवेदनशील माना गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और राज्य की अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए असम की एसएपीसीसी में 36 कार्यनीतियों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा, वन और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित असम परियोजना के तहत माजुली में जैव विविधता प्रबंधन समितियों की क्षमताओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहभागी अनुकूलन उपायों के समग्र संवर्धन में योगदान दिया जा सके।
